

25/1/18

आज यह पत्रवाही कर दी है। अग्न काम 15 मीटर में  
आज इसका निष्पत्ती 5/3/18 व्याट ही  
पत्रवाही कर लक्ष्मी को पेश है:

१)

5/3/18

लक्ष्मी 23/3/18

समस्त पत्रादि  
(आखर)

१)

25/3/18

वादी वकील श्री पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा दावा withdraw करने का कृत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी, वादी को बंधना, करवाने के लिए तैयार है और वास्तव में उक्त दावा को withdraw किया जाना आवश्यक है।

इसने पत्रावली का श्रवण कर लिया यह वादी का परिष्कृत अधिकार है कि दावे के निर्वय से पूर्व वह दावा withdraw कर सकता है। चूंकि दावे को withdraw करना, वादी का unilateral act है, जिसे कतिपय कारणों के लिए Court की permission की आवश्यकता नहीं है। अतः वादी का withdrawal application के मध्यम से दावा प्रत्याहण की अनुमति दी जाती है। लिहाज दावा को निस्तारित किया जाता है। परिप्रेक्ष्य में जारी निषेधाज्ञाएं रद्द की जाती हैं। प्रतिवादी सं. 2, उपपंजीयक का खाज्जाला दावे को विषय वस्तु से संबंधित एग्जीमेन्ट विद पत्रेशन के अनुसार आर्टिकल 5 के अंतर्गत में स्टाम्प ड्यूटी ~~का~~ वसूलने के लिए स्वतंत्र रहेगा। निर्वय सुनाया गया

25/3/18  
SDHO